तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20-3-18	दिनांक 19.3.18 को हड़ताल होने से पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने बहस करनी चाही। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी। आदेश हेतु पत्रावली दिनांक 26.3.18 को पेश हो।	
26.3.18	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों, दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने की दरख्वास्तकामी। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया, तथा एक तरफा बहस पर मनन किया गया। विवादित काश्तकारान ग्राम कुवाड़ा, पटवार हल्का कुवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित होकर श्री किशना, भवानीराम नेहरा, खसरा 510 मौजा जाट कादेड़ देह के नाम दर्ज रेकार्ड थी। जरिये इंतकाल नम्बर 79 दिनांक 24-7-77 के कारवाई नं० 424 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि में से 510 [illegible] खटीक साबिक देह के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई। जिसकी ताईद प्रस्तुत राजस्व अभिलेख जमाबंदी की नकल संवत 2034 से 2037, की नकल, विक्रय पत्र की फोटो प्रति, इंतकाल की फोटो प्रति व वर्तमान राजस्व अभिलेख जमाबंदी की नकल संवत 2065 से 2068 की नकल से होती है प्रस्तुत दस्तावेजों व प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के अनुसार आराजी नं० 2018 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा साबिक आराजी नं० 2018 ~~[illegible]~~ का विक्रय विपक्षी सं० 1 के पक्ष में किया गया। जिसकी ताईद प्रस्तुत विक्रय पत्र की फोटो प्रति से होती है साबिक आराजी 2018 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा हाल 2018 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा नामजद नम्बर 424 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा	

उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा (राज.)

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	जिसकी वादग्रस्त खसरा नम्बर की कोई प्राप्ति होती है। इस प्रकार प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा संतुलन प्रार्थी पक्ष में न होकर विपक्षी सं.1 के पक्ष में है। प्रार्थी किसी प्रकार की दादरसी प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि प्रार्थी के वारिसान व प्रार्थी द्वारा नाबालिग अवस्था में ही उक्त काश्तकार का बेचान विपक्षी सं.1 के पक्ष में किया जा चुका था। खतौनी खाता में विपक्षी सं.1 के नाम दर्ज रेकार्ड होल्डर/खातेदार के विरुद्ध प्रार्थी किसी प्रकार की स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त नहीं कर सकता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी स्थगन प्रार्थना पत्र को सिद्ध करने में असफल रहने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित समझती हूँ- अतः :: आदेश :: प्रार्थी स्थगन प्रार्थना पत्र धारा 212 R.T.A. के प्रार्थना पत्र को सिद्ध करने में असफल रहने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तकमील जरूरी जाकर दफ्तर दाखिल होकर मूल वाद के साथ शामिल हो। उपखण्ड अधिकारी [illegible] (राज.)